

हिमाचल प्रदेश सरकार



विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य सड़क परियोजना के लिए
पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना (आर0 एण्ड आर0) सिद्धान्त
नितिगत ढांचा तथा अधिकार क्षेत्र ।

(हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीबीडब्ल्यू (बी एण्ड आर) (डब्ल्यू.बी.) 3-(6)9/2005
दिनांक 3 जून, 2006 के अर्न्गत प्रधिकृत) (हिन्दी रूपान्तर)

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम सीमित ।
(पंजीकृत कार्यालय : न्यू हिमरस भवन, सरकूलर रोड़, शिमला-171001)

1 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य सड़क परियोजना के लिये पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना के सिद्धान्त, नीतिगत ढांचा तथा अधिकार क्षेत्र ।

1.1 नीति का परिचय तथा मुख्य सिद्धान्त

यह नीति दस्तावेज परियोजना लागू होने से विपरीत सामाजिक, आर्थिक प्रभावों को कम किये जाने वाले उपायों, इससे सम्बन्धित सिद्धान्तों तथा व्यवहारिकता को विस्तार पूर्वक वर्णित करता है । निर्देशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि जिससे इन मुद्दों को निपटाने में सहायता मिल सके, जो इस परियोजना को लागू होने से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी0 ए0 पी0 एस0) के पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना में सहायता करेंगे । पुर्नवास योजना विश्व बैंक के अनैच्छिक पुर्नवास निर्देशों पर आधारित है । पुर्नवास कार्य योजना (आर0 ए0 पी0) राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता संगठनों या किसी अन्य कार्यालयन संस्था के माध्यम से लागू करवाई जायेगी ।

मुख्य सिद्धान्त

पुर्नवास योजना (आर0 एण्ड आर0) के मुख्य सिद्धान्त निम्न प्रकार से हैं :-

- परियोजना द्वारा लोगों पर होने वाले विपरीत प्रभावों से बचना होगा या उन्हें कम करना होगा ।
- जहां विपरीत प्रभावों से बचा नहीं जा सकता वहां परियोजना प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को पुनः प्राप्त करने या सुधार करने में सहायता करनी होगी । प्रभावित समूहों की पहचान कर उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाना होगा ।
- पुर्नवास से सम्बन्धित योजना को बनाने, इसको लागू करने सम्बन्धी समुचित जानकारी सम्बन्धित सभी लोगों को बतानी होगी तथा इसको लागू करने के लिए भी प्रभावित लोगों का सहयोग सुनिश्चित करना होगा ।
- समस्त भूमि अधिग्रहण, भूअधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसमें अधिग्रहित की गई सम्पत्ति का मुआवजा देने का प्रावधान होगा । मुआवजा सम्बन्धित सम्पत्ति के बदले में निर्धारित दर पर दिया जायेगा । परियोजना प्रभावित लोगों, जो कि भूमि या सम्पत्ति रहित हैं परन्तु जिनके आर्थिक हित प्रभावित होने से अपनी आजीविका खो देंगे, को भी मुख्य सिद्धान्तों के अनुरूप सहायता प्रदान की जायेगी ।
- उन स्थानों को छोड़कर जहां मौजूदा सड़क की संरेखन कायम रखने के लिये बाईपास बनेंगे या रेखा गणितीय आवश्यकताओं को छोड़कर मुख्यतः सड़क चौड़ाई का कार्य मौजूदा राजमार्ग के साथ किया जायेगा ।
- अधिग्रहित भूमि या सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने से पूर्व मुआवजा तथा आर0 एण्ड आर0 सहायता सम्बन्धित नीति के आधार पर प्रदान करनी होगी ।
- इस परियोजना के लागू होने से सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी विपरीत प्रभाव नहीं होने चाहिये और यदि होते हैं तो उन्हें कम किये जाने के विशेष उपाय, परियोजना में उल्लेख की गई पुर्नवास योजना के अनुसार करने होंगे ।
- परियोजना से प्रभावित विभिन्न श्रेणी के लोगों के अधिकारों का जायजा लिया जायेगा, जो कि अधिकार क्षेत्रों में दिखाया गया है । ऐसे लोगों को भी बजट में धन उपलब्ध करने का प्रावधान रखा जायेगा जो गणना के समय वहां मौजूद नहीं थे । परन्तु ऐसा व्यक्ति

जो निर्धारित तिथि के बाद उस क्षेत्र में धुसपैठ करता है, किसी भी प्रकार की सहायता का पात्र नहीं होगा ।

- सभी प्रकार की समस्याओं के निपटान हेतु जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिससे सभी समस्याओं का निवारण सुनिश्चित किया जायेगा ।
- पुनर्वास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने व आंकलन हेतु महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी । इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी ।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से सम्बन्धित सभी विचार-विमर्श दस्तावेज रखे जायेंगे । विचार -विमर्श, योजना निर्माण पुनर्वास तथा पुनः स्थापना के कार्य के समय पर भी जारी रखा जायेगा ।
- पुनर्वास कार्य योजना के लिये मदवार बजट का पूर्ण प्रावधान रखा जायेगा तथा कार्य योजना की समय सारणी निर्माण कार्य से जोड़ी जायेगी ।

1.2 संक्षिप्त शब्द, शर्तें तथा परिभाषा

1.2.1 संक्षिप्त शब्द

निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग इस नीति में किया गया है:-

डब्ल्यू0 बी0	विरुव बैंक
पी0 ए0 पी0	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
पी0 ए0 एफ0	परियोजना प्रभावित परिवार
बी0 पी0 एल0	गरीबी रेखा से नीचे
सी0 ओ0 आई0	प्रभाव का दायरा
सी0 पी0 आर0 एस0	सामुहिक सम्पत्ति संसाधन
ई0 पी0	हकदार व्यक्ति
एच0 ए0	हैक्टेयर
एल0 ए0 ए0	भूमि अधिग्रहण अधिनियम
एन0 जी0 ओ0	गैर सरकारी संस्था
आर0 ए0 पी0	पुनर्वास कार्य योजना
आर0 ओ0 डब्ल्यू	वैद्य मान्य सिद्धान्त
आर0 एण्ड आर0	पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना
एस0 सी0	अनुसूचित जाति
एस0 टी0	अनुसूचित जनजाति
यू0/एस0	धारा के अन्तर्गत

1.2.2 शर्तें

बीघा	1/5 एकड़
हैक्टेयर	भूमि की मापदण्ड इकाई (एक हैक्टेयर 10000 वर्ग मीटर के समान है)
प्रभावित क्षेत्र का दायरा	सड़क निर्माण के लिए प्रभावित क्षेत्र की चौड़ाई में सर्विस लेन, नालियां, पैदल मार्ग, आवागमन के रास्ते, वृक्षारोपण तथा सुरक्षा क्षेत्र सम्मिलित होगा । परियोजना में कार्य क्षेत्र के प्रभाव का दायरा, विस्तृत डिजाइन की आवश्यकता के आधार पर होगा और यह उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्मित तथा खुला क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में 13 मीटर तथा मैदानी क्षेत्र में 15 मीटर होगा । परन्तु निर्मित क्षेत्र में, जहां यह सम्भव नहीं हैं, वहां निर्मित पहाड़ी क्षेत्र में यह 9 मीटर तथा मैदानी क्षेत्र में यह 10 मीटर होगा ।
विकास खण्ड	कई गांवों के समूह को इक्ठ्ठा कर एक विकास खण्ड बनेगा ।
तहसील/उपमण्डल	कई गांवों के समूह की राजस्व प्रशासनिक इकाई
पंचायत समिति	खण्ड स्तर पर गठित पंचायत समिति
जिलाधीश/ दंडाधिकारी	जिला में प्रशासनिक प्रमुख
मण्डलायुक्त	कई जिलों की मण्डलीय इकाईयों का प्रशासनिक प्रमुख
पंचायत	ग्रामीण स्तर पर निर्वाचित स्थानीय निकाय
गरीबी रेखा	वह परिवार जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो तथा परियोजना क्षेत्र में आता हो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जायेगा ।
सरपंच	गांव का निर्वाचित प्रमुख ।
गैर खातेदार	इसमें मुआफी भूमि धारक तथा आबंटित भूमि धारक शामिल होंगे ।
जमाबन्दी	भूमि अधिकार का आधारभूत रिकार्ड ।
खातेदार/काश्तकार	कानूनन सारी भूमि सरकार की है तथा वर्तमान में सभी भूमि मालिक वास्तव में काश्तकार है जिन्हें खातेदार कहा जायेगा ।
मुआफी भूमि	इसमें मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा ठारजाघरों से जुड़ी भूमि शामिल है ।
पक्का	सीमेन्ट, ई ट तथा रेत-बजरी से निर्मित ढांचा ।
अर्द्धपक्का	ऐसा निर्माण जो टाईल/ईट की दिवार/ छत का बना हो ।
कच्चा	पत्थर, मिट्टी तथा गारे से निर्मित ढांचा ।
हकदार व्यक्ति	वह व्यक्ति जो परियोजना के विपरीत प्रभाव से प्रभावित हुआ है तथा परियोजना की रूपरेखा के अनुसार सहायता का पात्र है ।

मालिकाना अधिकार	वह व्यक्ति जिसके पास कानूनी दस्तावेजों में सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है ।
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए जिला दण्डाधिकारी या उनके प्रतिनिधि की अगुवाई में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करना ।

1.2.3 परिभाषायें

निर्धारित समय सीमा

निर्धारित समय सीमा निम्न प्रकार से होंगी:-

कानूनी मालिकाना अधिकार प्राप्त व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहण तिथि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना जारी होने की तिथि मानी जायेगी ।

उन मामलों में जिनमें लोगों के पास मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं है में निर्धारित तिथि परियोजना अधिकारियों द्वारा जनगणना सर्वेक्षण लिये जाने से एक वर्ष पूर्व मानी जायेगी ।

परियोजना प्रभावित व्यक्ति:

प्रभावित व्यक्ति वे होंगे जिनकी पूर्ण अथवा आंशिक भौतिक या गैर भौतिक सम्पत्ति, घर, उपजाऊ भूमि, सामुदायिक संसाधन, व्यवसायिक संपत्ति, जीवनयापन के साधन तथा सामाजिक-सांस्कृतिक तन्त्र, जो परियोजना से समाप्त हो जायेगी ।

परियोजना विस्थापित व्यक्ति

विस्थापित व्यक्ति वह माना जायेगा जिसको परियोजना के कारण अपना घर , कार्य स्थल या कारोबार छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ।

परिवार की परिभाषा

(क) संयुक्त परिवार में परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी तथा आश्रित मां-बाप तथा बच्चे शामिल होंगे जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 या एक वर्ष पूर्व पंचायत रजिस्टर में प्रविष्टि जो भी पहले हो के आधार पर यात्रा भत्ता, तबादला भत्ता, ई0 आर0 जी0 तथा भूमि या दुकान का आबंटन तय किया जायेगा ।

(ख) उन व्यस्क पुत्र, पुत्रियों, जिनका जीवन यापन परियोजना से प्रभावित होगा उन्हें अलग परिवार माना जायेगा ।

दैनिक भोगी

ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसायिक संस्थान या कृषि भूमि पर कार्य कर रहा है तथा परियोजना से प्रभावित हो रहा हो ।

अतिक्रमणकर्ता

ऐसा व्यक्ति जिसने निर्धारित तिथि से एक वर्ष पूर्व अपनी भूमि या सम्पत्ति के साथ लगती सरकारी भूमि जिसके लिये वह अधिकृत नहीं है, पर अपनी आजीविका चलाने के लिए नाजायज कब्जा कर रखा है । यदि ऐसा व्यक्ति योजना से प्रभावित होता है तो उसे नियमों के अनुरूप मुआवजा दिया जायेगा ।

अवैध कब्जाधारी

ऐसा व्यक्ति जो भूमिहीन है तथा निर्धारित तिथि के एक वर्ष पूर्व से किसी अनुमति के बिना सार्वजनिक भूमि या मकान पर कब्जा कर आजीविका चला रहा है ।

आय

परियोजना प्रभावित व्यक्ति की आय परियोजना की निर्धारित तिथि के एक वर्ष पूर्व आयकर रिटर्न में भरी आय मानी जायेगी । ऐसा न होने की स्थिति में आय किसी संस्था द्वारा आंकी गई आय के आधार पर तय की जायेगी, जिस प्रकार की सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के मामले में करती है । गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र खण्ड/ तहसील द्वारा चयनित परिवारों के आधार पर माना जायेगा ।

प्रभावित व्यक्ति

यदि इस दस्तावेज में विशेष तौर पर यह न दर्शाया गया हो कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आयेगा तो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति को ही प्रभावित व्यक्ति माना जायेगा । अन्य पिछड़ी जाति, जनजाति, अपंग, असहाय, अंग विहीन तथा परिवार चला रही महिलाओं को भी प्रभावित व्यक्ति माना जायेगा ।

मालिकाना हक प्राप्त व्यक्ति

उस व्यक्ति को मालिक माना जायेगा जो भूमि या ढांचे के अपने दावे के साथ कानूनी दस्तावेज पेश करेगा ।

उप किराएदार

वह व्यक्ति जो किरायेदार नहीं है परन्तु कुछ शर्तों तथा नियमों द्वारा भूमि का इस्तमाल करता हो ।

बटाईदार

ऐसा व्यक्ति जो मालिक की जमीन जोतकर उसकी आय को कुछ शर्तों द्वारा मालिक से बांटता है ।

भूमिहीन कृषि कामगार

ऐसा व्यक्ति जो निर्धारित तिथि से पूर्व भूमिहीन है तथा जो अपनी आजीविका के मुख्य साधन के रूप में मालिक या उप किरायेदार की भूमि पर कामगार का काम कर रहा है ।

छोटा किसान

जिस किसान के पास दो हैक्टेयर असिंचित या एक हैक्टेयर सिंचित भूमि होगी, को छोटा किसान माना जायेगा ।

सीमांत किसान

जिस किसान के पास एक हैक्टेयर असिंचित या आधा हैक्टेयर सिंचित भूमि होगी, को सीमांत किसान माना जायेगा ।

न्यूनतम आर्थिक जोन (एक एकड़)

पांच बीघा भूमि को न्यूनतम आर्थिक जोन माना जायेगा । परिसंख्या क्षेत्र में 20 बीघा को न्यूनतम जोन माना जायेगा ।

खोखा

खोखा वह बांचा है जो जमीन पर जुड़ा नहीं है । साधारणतयः खोखे लकड़ी के चार पायों वाले बांचे हैं जिन्हें जमीन पर इधर-उधर हिलाया जा सकता है ।

पुनर्वास योजना (नियमों) के तहत अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिभाषा

हकदारी नीति के अन्तर्गत पात्रता

- (1) आर्थिक पुनर्वास अनुदान (ई0 आर0 जी0)
- (2) संकमण/अस्थाई भत्ता (टी0 ए0)/निर्वाह भत्ता
- (3) स्थानान्तरण भत्ता (एस0 ए0) तथा
- (4) प्रशिक्षण भत्ता

आर्थिक पुनर्वास अनुदान (ई0 आर0 जी0) व निर्वाह भत्ता निर्धारण

आर्थिक पुनर्वास और पुनर्वास के लिये गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का आधार निर्धारित तिथि पर तय किया जायेगा । सालाना आय को माह की आय में परिवर्तित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखकर निर्धारित सीमा का 25 प्रतिशत ज्यादा तथा अतिरिक्त भी तय की जायेगी । पुनर्वास आर्थिक अनुदान की दर 24,000 रुपये होगी तथा उपभोक्ता वस्तुयें इसमें शामिल नहीं होगी ।

संकमण/अस्थाई भत्ते की दर न्यूनतम दिहाड़ी (70 रुपये) जो 24 दिनों, 48 दिनों, 72 दिनों या 100 दिनों (जिस भी सूरत में हो) पर आधारित होगी ।

स्थानांतरण एवं प्रशिक्षण भत्ते के परिकलन हेतु आधार

यदि स्थानांतरण गांव के अंदर अथवा नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत हो तो स्थानांतरण भत्ते की एक मुश्त राशि 1000 रुपये या यदि यह 2 किलोमीटर से अधिक अथवा गांव अथवा नगरपालिका की सीमा से बाहर हो तो इसकी एक मुश्त राशि 2000 रुपये होगी ।

प्रशिक्षण भत्ते के परिकलन के लिए निम्नलिखित शीर्ष मान्य होंगें :-

- अध्यापक प्रशिक्षक को दी जाने वाली राशि ।
- प्रशिक्षकों को यात्रा, ठहराव तथा भोजन व्यय ।
- प्रशिक्षण स्थान का किराया ।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री ।

प्रत्येक परियोजना प्रभावित व्यक्ति परिवार के लिए प्रशिक्षण भत्ते से कुल प्राप्त राशि को समस्त प्रशिक्षकों में बांटा जाएगा ।

किराया भत्ता : परियोजना के विस्थापन की आपूर्ति के एवज में ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 3000/- तथा शहरी क्षेत्रों में रुपये 6000/- की राशि प्रदान की जाएगी ।

प्रतिस्थापन लागत

प्रतिस्थापन लागत वह लागत है जो तुलनीय परिसम्पत्तियों की खरीद में प्रभावित व्यक्ति द्वारा अर्जित भूमि एवं अन्य सुविधाओं, भवन इत्यादि की एवज में प्राप्त होती है ।

अर्जित भूमि एवं सुखसुविधाओं, भवन इत्यादि की एवज में जो मुआवजा प्रदान किया जाता है वह प्रभावित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान पर तुलनीय परिसम्पत्तियों को खरीदने के लिए

पर्याप्त होना चाहिए। जहां प्रतिस्थापन भूमि / भवन को खरीदने के लिए मुआवजा पर्याप्त नहीं है, तो परियोजना प्राधिकरण द्वारा कमी को पूरा करने के लिए अन्य सहायता प्रदान की जाएगी।

आर्थिक पुनर्वास अनुदान (ई.आर.जी.)

आर्थिक पुनर्वास अनुदान (ई0आर0जी0) वह अनुदान है जो परियोजना प्रभावित व्यक्ति जो कि असुरक्षित परिवार से सम्बन्ध रखता हो की आजीविका को हानि हुई हो अर्थात् व्यवसायिक ईकाई में हानि (मालिक और सहायता देने वाले) भूमि की हानि जिसमें स्वामित्वाधिकारधारी, दैनिक श्रमिक,, बटाईदार इत्यादि सम्मिलित हो को दिया जाता है। आर्थिक पुनर्वास अनुदान केवल उन्हीं सदस्यों को (भूमि अथवा दुकान इत्यादि के लिए) दिया जाएगा, जो प्रभावित सम्पति पर आश्रित हो।

परिवर्ती भत्ता (टी.ए.)

छोटे खोखों के स्वामी के अलावा प्रतिकूल प्रभावित / विस्थापित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परिवर्ती भत्ता उपलब्ध करवाया जाता है।

स्थानांतरण भत्ता

परिवार और घरेलु परिसम्पत्तियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण भत्ता एक मुश्त राशि में एक ही बार देय होगा यदि किसी व्यक्ति को विस्थापित किया जा रहा हो तो वह इस भत्ते का हकदार है।

प्रशिक्षण भत्ता

पात्र परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षण भत्ता निर्धारित है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को जिनकी अजीविका की क्षति हुई हो को नए व्यवसाय और सम्बन्धित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है।

1.3 वैध ढांचा

परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ भू-अर्जन परियोजना के लिए आवश्यक है कि भूमि का अर्जन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत किया जाएगा। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रस्तुत किए की गई है :-

1.3.1 भू-अर्जन अधिनियम, 1894

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धाराएं	विवरण
3.	परिभाषा
4.	प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन और सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिए अधिकारियों को शक्तियाँ।
5.	क्षति की अदायगी
5.क	आपत्तियों को सुनना
6.	जन प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि की घोषणा
7.	घोषणा के पश्चात समाहर्ता द्वारा अधिग्रहण के आदेश प्राप्त करना
8.	भूमि का सीमांकन करना, मापना और योजना बनाना
9.	सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचना देना
10.	विवरण जिसमें नाम और अधिकार दिया गया हो को बनवाने और लागू करने की अपेक्षित शक्तियाँ।

11.	माप, मूल्य और दावे की जांच और समाहर्ता द्वारा अधिनिर्णय
12.	अन्तिम होने पर समाहर्ता का अधिनिर्णय
13. क	लीपिकीय अशुद्धि इत्यादि में सुधार
16.	कब्जा लेने के लिए शक्तियां
17.	अत्यावश्यक मामलों में विशेष शक्तियां
18.	न्यायालय का सन्दर्भ
23.	निर्धारी मुआवजे के लिए मामलों पर विचार करना
24.	निर्धारी मुआवजे के लिए मामलों की उपेक्षा करना

भूमि का अर्जन निजी लेन देन के माध्यम से भी किया जा सकता है जिसमें क्रयकर्ता और विक्रयकर्ता मूल्य का निर्धारण आपस में बातचीत करके करते हैं। यदि विक्रयकर्ता बेचने का इच्छुक हो तथा क्रयकर्ता खरीदने का इच्छुक हो तो दिए गए व स्वीकृत मूल्य का निर्धारण आपस में मिलजुल कर किया जाता है, अन्त में उससे सहमत होते हैं। बाजार स्थिति के आधार पर मूल्य निर्धारण के लिए समझौते की सरकारी प्रक्रिया की अधिसूचना संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी) ए-(6) 2-64/2001 दिनांक 13 जुलाई, 2004 का पालन किया जाएगा।

तथापि, राज्य द्वारा निजी भूमि के अर्जन हेतु भूस्वामियों की सहमति और इच्छा प्राप्त करना भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत लाना आवश्यक नहीं है। यद्यपि वह व्यक्ति/ महिला उस भूमि को छोड़ना नहीं चाहता/चाहती हो तो भी वह उस भूमि से वंचित हो जाएगा/जाएगी। इसके अतिरिक्त मुआवजा राशि का निर्धारण करते समय भूस्वामियों की आपतियों और विकल्पों को (भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 और 11 के अन्तर्गत) सुना जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा उद्धृत राशि पर सहमति हो। अतः भूस्वामी व्यक्ति/महिला का स्वामित्व के अधिकार अथवा मुआवजा के स्तर पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मुआवजा मूल्य नहीं है।

बाजार मूल्य

भू-अर्जन अधिनियम (अन्तर्गत/ धारा 23) में अनुबन्ध किया गया है कि जब मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा हो तो प्राथमिक अधिसूचना [अन्तर्गत/ धारा 4(1)] की तिथि से जो बाजार मूल्य प्रचलित हो, पर विचार करना चाहिए। तथापि अधिनियम अथवा नियम दोनों में से कोई भी न तो बाजार मूल्य को परिभाषित करते हो न ही इसके निर्धारण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हो।

मुआवजा

राज्य द्वारा भूमि का अर्जन प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। भूस्वामियों के लिये ऐसी वाध्यता उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाती है और भूस्वामियों के लिए असुविधा का कारण बनती है। इसलिए कानून द्वारा मुआवजे के अधिदेशात्मक भुगतान का प्रावधान है। मुआवजे की प्रतिशतता में समय-समय पर भिन्नता आती है। सितम्बर, 1984 में जब भू-अर्जन अधिनियम का संशोधन हुआ था उस समय से यह बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत है,।

अतिरिक्त बाजार मूल्य

बाजार मूल्य अभिनिश्चयन के लिए गणना तिथि वह तिथि है जब प्राथमिक अधिसूचना (अन्तर्गत) धारा 4 (1) प्रकाशित हुई है। इस अधिसूचना और भूमि के वास्तविक अधिग्रहण को साधारणतया तीन मास से तीन वर्ष तक के समय के भीतर परिवर्तित किया जाएगा। 4 (1) अधिसूचना के अन्तर्गत उस तिथि को जो बाजार मूल्य आंका गया है वह मालिक के लिए अधिक हानि होने का कारण हो सकता है। इसलिए कानून में बाजार मूल्य के 12% वार्षिक की दर से अतिरिक्त मूल्य लेने का

प्रावधान रखा गया है अतिरिक्त ब्याज 4 (1) अधिसूचना की तिथि से पंचाट की तिथि अथवा कब्जा ग्रहण करने की तिथि तक जो भी पहले हो तक आंका जाएगा ।

ब्याज

विलम्ब की स्थिति में, कानून में मुआवजे पर ब्याज की अदायगी का प्रावधान है । प्रथम 12 मास के लिए , 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान पंचाट की तिथि से देय है । पंचाट की घोषणा की तिथि से 12 मास से अधिक की स्थिति में ब्याज की दर 15 प्रतिशत है ।

1.3.2 प्रतिस्थापना मूल्य का परिकलन

इस परियोजना के लिए भूमि का विस्थापन मूल्य निम्न तीन पद्धतियों के द्वारा परिकलित किया जाएगा, और तीनों में से उच्चतम मूल्य पर विचार किया जाएगा :-

- ऐसी निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए अथवा समकालीन वर्षों के लिए समरूप भूमि में वास्तविक लेन देन की दरों की औसत जिसके लिए विक्रय दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं ।
- सम्बन्धित भूमि के कुल वार्षिक उत्पादन के 20 गुणा मूल्य तथा पूर्वगामी पांच वर्षों की औसत पर विचार करना । इस प्रयोजन के लिए, जिला सांख्यिकी पुस्तिका से सैकेण्डरी आंकड़े, स्थानीय कृषि उत्पाद समिति से आंकड़े और कृषि विभाग से आंकड़े प्रयुक्त किए जाने चाहिए ।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय स्टॉम्प अधिनियम के अधीन विक्रय दस्तावेज के पंजीकरण के उद्देश्य से भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण न्यूनतम भूमि मूल्य के समान करना ।

तीनों पद्धतियों में से उच्चतम मूल्य देते हुए मुआवजे का अधिनिर्णय विस्थापन लागत पर

होगा ।

1.4 प्रभावी एवं हकदारी वर्ग

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रभावी वर्गों को चिह्नित किया गया था :-

1.4.1 सीधी क्षतियां

कृषि भूमि / बगीचे की क्षति (पूर्ण अथवा आंशिक)

आवासीय ढांचों की क्षति

व्यवसायिक ढांचों की क्षति

सामूहिक सम्पत्ति संसाधन की क्षति

धार्मिक ढांचों की क्षति

सरकारी सम्पत्तियां जैसा कि बैंक, सरकारी कार्यालय, पाठशालाओं इत्यादि की क्षति

1.4.2 निर्माण चरण के दौरान अस्थायी क्षतियां

- कृषि श्रमिक, बगीचे में कार्य करने वाले, सड़क के किनारे भोजनालयों इत्यादि में कार्य करने वालों की आजीविका की क्षति
- कृषि भूमि को क्षति, सी.पी.आर.एस. इत्यादि ।

1.5 विवाद्यक एवं विस्तृत हकदारी रूपरेखा :-

1.5.1 विवाद्यक

सामान्यतः लोक निर्माण विभाग और राजस्व रिकार्ड के भूमि रिकार्ड/आंकड़ों के बीच भारी भिन्नता पाई जाती है। राजस्व विभाग के पास भूमि रिकार्ड प्रणाली एवं क्षेत्र स्तरीय परिस्थिति उत्तराधिकारियों के अंशभाग में अंतर पाया जाता है जो कि हस्तांतरण / नामांतरण को दर्ज न करने पर बिना नामांतरण के भूमि की बिक्री इत्यादि के कारण होता है। राजमार्गों के किनारे बहुत सी बस्तियां बन जाती हैं जो कि कृषि भूमि का विभाजन कर आवासीय एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में आ जाती हैं, परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रयोग के बारे में अद्यतन स्थिति समाविष्ट नहीं होती है। उदाहरणतया उच्चमार्ग के साथ लगती कृषि भूमि वर्तमान में आवासीय अथवा व्यवसायिक भूमि के रूप में उपयोग की जा रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वह भूमि अभी भी कृषि भूमि के रूप में प्रयुक्त है।

बहुत से मामले ऐसे देखे गए हैं जहां पर भूमि को व्यक्ति/व्यक्ति समूह को विभिन्न सरकारी योजनाओं अथवा स्थानीय स्वायत्त सरकारी संस्थान द्वारा (आबंटित/पट्टे पर/भूमि शेयर इत्यादि) अथवा आबंटित/पट्टे की भूमि को अभिकरण पत्र के माध्यम से अथवा अन्य कानूनी लिखित द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया है, परन्तु स्वामित्व के रिकार्ड इस बारे स्पष्ट नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में यह पाया गया है कि भूमि का अधिग्रहण (लोकनिर्माण के रिकार्ड के अनुसार) पहले सड़क विस्तार योजनाओं के लिए किया गया था परन्तु निर्धारित तिथि को यह विषय न्यायिक विचार/विवाद में पड़ा है। इन सब कारणों से स्वामित्वाधिकार धारी के वास्तविक स्वामित्व एवं भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे की पात्रता को निश्चित करने में जटिलता उत्पन्न होती है। अतः यह चिन्तनीय मुद्दे हैं तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सही नीति निर्धारण को सुनिश्चित करना पड़ेगा। परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए यह प्रस्तावित है कि जहां जहां भूमि का स्वामित्व उपरलिखित एवं समरूप वर्ग में पड़ता हो वहां मुआवजे का निर्धारण भूमि के विस्थापन मूल्य से लगाया जाए।

1.5.2 सामान्य हकदारी वर्ग

निर्धारित प्रभाव तथा सामान्य हकदारी रूपरेखा पर आधारित परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को पांच प्रकार का मुआवजा एवं सहायता प्राप्त करने का हक होगा।

- (i) भूमि, फसलों/वृक्षों की क्षति का मुआवजा;
- (ii) भवनों (आवासीय/ व्यावसायिक) तथा अन्य अचल परिसम्पत्तियों का मुआवजा;
- (iii) व्यवसाय/वित्त आय की क्षति की एवज में सहायता;
- (iv) पुनः स्थापन तथा पुनः स्थान निर्धारण के लिए सहायता और
- (v) सामुदायिक संसाधन सुविधाओं का पुनर्निर्माण और/अथवा जीर्णोद्धार।

विभिन्न वर्गों के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामान्य हकदारी रूपरेखा निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

कृषि स्वामित्वाधिकार धारी

भारत में भूमि रिकार्ड सही ढंग से अद्यतन नहीं है जिससे कि वास्तविक स्वामित्व का निर्णय करने में विशेष रूप से स्वामित्वाधिकार धारी के कानूनी उत्तराधिकारियों के शेयर का निर्धारण करने से कठिनाईयां आती हैं। इसलिए प्रमुख क्षेत्रों में जहां गैर सरकारी संस्थाएं भूअर्जन के कार्य में प्रभावी सुविधा प्रदान कर सकती हैं, भूमि रिकार्ड को अद्यतन कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए गैर सरकारी संस्थाएं भूमि रिकार्ड को सत्यापित करने तथा उसके बाद चिह्नित प्लॉट और स्वामियों का स्थान पर जाकर सत्यापन करने का, उत्तरदायित्व लेगी ।

एक बार जब भूमि रिकार्ड अद्यतन हो जाएंगे तो भूमि के विस्थापन मूल्य का परिकलन उपरोक्त खण्ड 1.3.2 में वर्णित पद्धतियों से किया जाएगा और उनमें से उच्चतम मूल्य पर विचार किया जाएगा ।

ऐसे मामलों में जहां भूमि उपयोग पद्धति को कृषि भूमि से आवासीय / व्यावसायिक में नहीं बदला गया हो, वहां विस्थापन मूल्य का आंकलन लेन देन की दर पर निकाला जाएगा । बशर्ते कि आवासीय / व्यावसायिक भूमि समूह में हो । कृषि भूमि के स्वामित्व बदलाव के पृथक मामलों में भूमि के प्रयोग को परिवर्तन के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

उपरलिखित पद्धतियों से निकाला गया उच्चतम मूल्य भूमि का विस्थापन मूल्य माना जाएगा । यदि प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा विस्थापन मूल्य से कम होगा तो हकदार व्यक्ति को मूल्य के अन्तर को सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा ।

कुछ मामलों में ऐसा घटित हो सकता है कि यदि अधिग्रहण के पश्चात हकदार व्यक्ति (ई. पी.) की शेष भूमि विकास क्षम न हो तो ऐसे मामलों में हकदार व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाता है कि या तो वह शेष भूमि को रखे अथवा समस्त भूमि जिसमें कि शेष अविकासक्षम भूमि का टुकड़ा भी शामिल हो का विस्थापन मूल्य प्राप्त करें । ऐसी भूमि का अधिग्रहण भी लोक निर्माण विभाग द्वारा होगा । यदि हकदार व्यक्ति दलितवर्ग से हो और हकदार व्यक्ति की इच्छा हो, तो मुआवजे के तौर पर भूमि के बदले में भूमि दी जा सकती है बशर्ते कि उस भूमि के बराबर या अधिक उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो ।

कृषि स्वामित्वाधिकारधारी हकदार व्यक्तियों को यदि अपनी समस्त भूमि के 20 प्रतिशत से कम भूमि की क्षति होती है और उनकी शेष भूमि 5 बीघे से अधिक हो तो वह मुआवजे के तौर पर विस्थापन मूल्य के हकदार होंगे । ऐसे मामलों में जहां 20 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया हो और शेष भूमि पांच बीघे से अधिक हो तो हकदार व्यक्ति मुआवजे के तौर पर कुशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण और दलित वर्गों के लिए आर्थिक पुनर्वास अनुदान¹ के हकदार होंगे । जहां हकदार व्यक्तियों के लिए अधिग्रहण के पश्चात शेष भूमि 5 बीघे से कम रह जाती है वहां वह मुआवजे के तौर पर विस्थापन मूल्य, प्रभाव की गम्भीरता पर आधारित परिवर्ती भत्ता (देखिए हकदार सारिणी) दलित वर्गों के लिए प्रशिक्षण तथा आर्थिक पुनर्वास अनुदान के हकदार होंगे ।

अनुपस्थित भूस्वामियों को मुआवजे के तौर पर केवल विस्थापन मूल्य दिया जाएगा ।

ऐसे मामलों में जहां राजस्व रिकार्ड में भूमि परिवार के मुखिया के नाम पर हो परन्तु वास्तविक रूप में परिवार के किसी अन्य सदस्य का उस भूमि पर कब्जा हो तो प्रशिक्षण/आर्थिक पुनर्वास अनुदान (यदि दलितवर्ग से हो) उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो वास्तविक रूप में भूमि को खो रहा है । ऐसे मामलों में यद्यपि राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वामित्वाधिकारी धारी को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

¹ आर्थिक पुनर्वास अनुदान परिसम्पत्तियों के रूप में प्रदान किया जाता है परन्तु इसमें अर्जक उपभोज्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा । भारत सरकार के गरीबी दुख-निर्वाचन कार्यक्रमों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

विवाद के मामलों में अर्थात् जहां भूमि रिकार्ड अद्यतन / परिवर्तनशील नहीं हो अथवा जहां पर हकदार व्यक्तियों द्वारा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थता होती है, उस स्थिति में मुआवजे की राशि सक्षम प्राधिकारी के पास विवाद के निपटान तक जमा करवाई जाएगी ।

सम्बद्ध कानून के अन्तर्गत लागू सभी शुल्क, कर और प्रभार पुनःस्थापन निर्धारण और उनको स्थापित करने के लिए साधन परियोजना द्वारा दिये जाएंगे ।

अस्पष्ट स्वामित्वाधिकार के साथ भूमि को खोने वाला

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के वर्गों के लिए जिनके स्वामित्व के अधिकार स्पष्ट नहीं हैं, उदाहरणार्थ जो व्यक्ति आबादी भूमि में निवास करते हैं अथवा जहां भूमि व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह को विभिन्न सरकारी योजनाओं अथवा स्थानीय स्वायत्त सरकार की संस्था द्वारा (आबंटित / पट्टे पर भूमि शेयर चकबन्दी के पश्चात इत्यादि) दी गई हो अथवा आबंटित / पट्टे पर दी गई भूमि अभिकरण पत्र के द्वारा अथवा अन्य कानूनी लिखित द्वारा हस्तान्तरित हो, परन्तु उसके स्वामित्व के रिकार्ड स्पष्ट न हों तो भूमि की प्रतिस्थापन लागत, प्रतिस्थापन सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी । इन मामलों में पुनर्वास सहायता अकृषक स्वामित्वाधिकारधारी को उपलब्ध करवाई जाएगी ।

अकृषक स्वामित्वाधिकारधारी

आवासीय एवं वाणिज्य भवनों के प्रतिस्थापन मूल्य (आंशिक अथवा पूर्ण) का परिकलन मूल्यों की गिरावट के बिना प्रचलित मूल दरों की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा बशर्ते की गुणवत्ता और मानदण्ड से सम्बद्ध दरों की सूची लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई हो। परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन सरकार द्वारा अनुमोदित पंजीकृत मूल्यनिर्णायक की सहायता से किया जाएगा ।

यदि स्वामित्वाधिकारी धारी हकदार व्यक्ति को आवासीय इकाई में 20 प्रतिशत से कम क्षति होती है और शेष भवन विकासक्षम हो तो वह क्षतिग्रस्त (भवन साथ ही भूमि) परिसम्पत्ति के प्रतिस्थापन मूल्य को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा बहाये हुए भवन से बची हुई सामग्री पर उसका अधिकार होगा । यदि उसे 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होती है और शेष भवन अविकासक्षम हो जाता है¹ तो हकदार व्यक्ति एक मुरत किराया भत्ते का हकदार होगा । असुरक्षित, बेघर प्रभावित (ई0 पी0) 40 से 70 वर्गमीटर के प्लॉट तथा भवन निर्माण भत्ते जोकि आई0 ए0 वाई0के अन्तर्गत समान राशि का हकदार होगा ।

सभी प्रभावित व्यक्ति (ई0 पी0) जिन्होंने अपनी व्यावसायिक परिसंपत्तियां (अपना जीवनयापन) खोई हैं उन्हें 6 मास के लिए किरायाभत्ता, कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण, लागत के आधार पर 25 वर्ग मीटर प्लॉट तथा स्थानांतरण भत्ता प्रदान किया जाएगा । ऐसे प्रभावित व्यक्तियों में से असुरक्षित व्यक्तियों को उत्पादक परिसंपत्तियों के रूप में एक बार आर्थिक पुनःस्थापना अनुदान ई0 आर0 जी0 तथा 25 वर्ग मीटर का प्लॉट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा ।

यदि सम्पत्ति बंधक है उस स्थिति में ऋण देने वाले अधिकरण को उस व्यक्ति को देय हकदारी में से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा ।

यदि आवासीय विस्थापित व्यक्ति 25 या इससे अधिक व्यक्तियों के समूह में सम्पर्क साधते हैं तो वे 40 से 70 वर्गमीटर के प्लॉट तथा निर्माण भत्ते के हकदार होंगे । इसी प्रकार व्यावसायिक स्वामित्वधारी विस्थापित होने की स्थिति में 25 वर्गमीटर के प्लॉट तथा निर्माण भत्ते के हकदार होंगे ।

¹ यदि प्रभावित भवन का शेष निर्मित क्षेत्र आई.ए.वाई. आवास के अन्तर्गत क्षेत्र से कम हो तो भवन अविकासक्षम समझा जाएगा ।

किराएदार/काहतकार

किराएदार/काहतकार को ऐसे किसी भी ढांचे के लिए मुआवजा दिया जाएगा जो कि उनके द्वारा भू-स्वामी की सम्पत्ति पर खड़ा किया गया हो । सम्पत्ति अधिग्रहण करते समय उन्हें शेष राशि अथवा उन द्वारा भू-स्वामी के पास अग्रिम अदायगी अथवा जमा के रूप में अदा की गई राशि का भी भुगतान किया जाएगा । किरायदारों/काहतकारों को की गई इस प्रकार की सभी अदायगियां भू-स्वामी को देय राशि में से काट ली जाएंगी । किराएदार/काहतकार इस विघटन के एवज में किरायाभत्ता के भी हकदार होंगे उन्हें अपनी परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए एकमुश्त हस्तांतरण भत्ता भी दिया जाएगा । किराया सहायता की राशि सर्वेक्षण के दिन अदा किए गए औसत किराए के बराबर होगी । औसत किराया राशि सम्बंधी सूचना जनगणना तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित की जाएगी ।

उन सभी किराएदारों/काहतकारों, जिनकी जीवन यापन गतिविधियां प्रभावित हुई हों, को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा । ऐसी ई0 पीज0 में असुरक्षित व्यक्तियों को उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में एकबार आर्थिक पुनर्स्थापन अनुदान भी प्रदान की जाएगी ।

मज़दूर तथा बटाईदार

मज़दूर तथा बटाईदार जिनका जीवन यापन नियोक्ता के हट जाने पर प्रभावित होता है, इसलिए उन्हें परिवर्तन भत्ता दिया जाएगा , यदि वे पिछले तीन वर्ष इस में सम्बद्ध रहे हों । यदि मज़दूर नए कौशल प्राप्त करने का इच्छुक हो अथवा अपने कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण लेने का इच्छुक हो तो उसे ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । असुरक्षित समूहों की स्थिति में उन्हें भी परिसंपत्तियों के रूप में एक बार आर्थिक पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

अतिक्रमणकर्ता

अतिक्रमणकर्ताओं को यथा समय, साधारणतया दो मास पूर्व, अधिसूचित किया जाएगा ताकि वह इस अवधि में अपनी परिसंपत्ति को हटा दें और फसल को काट लें । अतिक्रमणकर्ता को भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा । असुरक्षित अतिक्रमणकर्ताओं को किसी दूसरे स्थान पर ढांचा ले जाने की लागत मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी । आवासीय अथवा व्यावसायिक ढांचे को (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) बदलने सम्बंधी लागत, बिना किसी कटौती के, प्रचलित मूल्य दर सूचि के आधार पर आंकी जाएगी बशर्ते कि ,लोक निर्माण विभाग की कर सूचि के अनुरूप गुणवत्ता मानक हों ।

परिसंपत्तियों का आकलन सरकार द्वारा अनुमोदित पंजीकृत आकलक की सहायता से किया जाएगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा ढांचे के लिए मुआवजा ढांचे को बदलने की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । प्रत्येक अतिक्रमणकर्ता को उसके तोड़े गए ढांचे का सामान ले जाने का हक होगा ।

सभी अतिक्रमणकर्ताओं, परियोजना के लिए जिनके व्यापारिक ढांचों को तोड़ा गया हो, को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा । ऐसी ई0 पीज0 के असुरक्षित व्यक्तियों को भी उत्पादक परिसंपत्तियों के रूप में एकबार आर्थिक पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

आबादकार

आबादकारों को भूमि के लिए कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा तथापि उन्हें ढांचे को बदलने की लागत के आधार पर ढांचे की क्षति हेतु मुआवजा मिलेगा । आबादकार को एक मुश्त स्थानान्तरण भत्ता भी मिलेगा तथा उसे तोड़े गए ढांचे के बचे हुए सामान को ले जाने का भी हक होगा । सभी आबादकारों, जिनके व्यापारिक ढांचों को परियोजना के लिए तोड़ा गया हो , उनको, उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । ऐसे प्रभावितों में असुरक्षित व्यक्तियों को उत्पादक परिसंपत्तियों के रूप में एक बार आर्थिक पुनःस्थापना अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

खोखे

खोखाधारियों को एकमुहृत स्थानांतरण सहायता मिलेगी । यदि 50 या इससे अधिक खोखाधारी मिलकर एक समूह बनाते हैं तो उनके लिए बाजार बिक्री हाट उपलब्ध करवाई जाएगी ।

सार्वजनिक सम्पतियां

डिजाइन करते समय ऐसे सभी प्रयास किए जाएंगे कि सार्वजनिक सम्पतियों का अधिग्रहण न किया जाए तथापि अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ सांझी संपतियों को भी परियोजना के लिए अधिगृहीत करना आवश्यक हो सकता है । ऐसी सभी परिसंपतियां जिन्हें किसी दूसरे स्थान पर बदला जा सकता हो, को, स्थानीय समुदायों के साथ विचार-विमर्श कर किसी नजदीकी उपलब्ध स्थान पर पुनःस्थापित की जाएगी । जंगलात क्षेत्र की क्षति जिसे पुनः स्थापित किया जाना असंभव है, का मुआवजा सम्बंधित वन विभाग से विचार-विमर्श कर प्रदान किया जाएगा । सार्वजनिक परिसंपतियों तथा उच्च मार्गों से ऐसी अन्य संपतियों के पुनःस्थापना पर अधिक बल दिए जाने का प्रयास किया जाएगा ।

जहां पर स्थानीय निकायों की मदद से सार्वजनिक परिसंपतियां स्थापित की जानी हों उस स्थिति में परियोजना प्राधिकरण इन निकायों को सार्वजनिक संपतियों के स्थान परिवर्तन का खर्च प्रदान करेगी । नक़्शे तैयार करने तथा सी0 पी0 आर0 के निर्माण से संबंधित लागत ठेकेदार के बिल में शामिल की जाएगी ।

अधिगृहीत परिसंपतियों का विक्रय तथा वाणिज्यक एवं आवासीय स्थलों को खाली किया जाना

अधिगृहीत परिसंपतियां तथा भूमि का मुआवजा दिया जाएगा तथा वे परियोजना के स्वामित्व में रहेंगी । तथापि पी0 ए0 पी0 अपनी दुकानों तथा घरों इत्यादि की बची हुई सामग्री को ले जा सकेगी । इस सम्बंध में एक सूचना जारी की जाएगी कि इस प्रकार से बची हुई सामग्री को तोड़े जाने के 48 घंटों के भीतर उठा लिया जाए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री को न उठाया गया तो परियोजना प्राधिकरण को उसे बिना किसी नोटिस के बेचने का अधिकार होगा ।

समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त परियोजना के अहाते में बनाए गए ढांचे को तोड़ने सम्बंधी कार्यवाही की जा सकती है । परियोजना प्राधिकरण द्वारा इसके अहाते में ढांचे को खाली या तुड़वाया भी जा सकता है । यदि यह सिद्ध हो जाए कि इसका निर्माण आर0 ओ0 डब्ल्यू पर नियत तिथि के उपरान्त किया गया है । सभी प्रकार की शिकायतें तथा आपतियां शिकायत निवारण समिति को भेजी जाएंगी ।

पुनःस्थापन स्थल

पुनःस्थापना स्थल के चयन तथा विकास के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

आबादकार तथा पट्टाधारक विस्थापित अपनी आवासीय/ व्यावसायिक परिसंपतियों को खोने पर आवासीय क्षति के मामलों में 25 व्यक्तियों के समूह तथा व्यावसायिक परिसंपतियों की क्षति के मामले में 50 व्यक्तियों के समूह परियोजना प्राधिकरण से संपर्क स्थापित कर सकते हैं । पी0 डी0 पीज0 को उस स्थान के समीप पुनःस्थापित करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर वे परियोजना से पूर्व रह रहे थे । पुनःस्थापन योजना में सभी आबादकारों की आवश्यकतानुसार आवासीय प्लॉट प्रदान करने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा । इसका कार्यान्वयन पुनः स्थापना हेतु विकल्प के आधार पर किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होंगे:-

विकल्प 1. आबादकार उनके बांचे के निर्माण तथा उससे सम्बंधित सहायता हेतु मुआवजे से स्वयं पुनःस्थापन व्यवस्था का विकल्प ले सकते हैं, और

विकल्प 2. जो आबादकार स्वयं पुनःस्थापन करने में सक्षम न हों, उस स्थिति में पी0 आई0 यू0/एन0 जी0 ओ0 प्रत्येक घर के आधार पर समुचित भूमि उपलब्ध करवाने बारे कार्य करेंगे, यदि वे स्वयं भूमि उपलब्ध करवाने में असमर्थ हों तो उस स्थिति में इस प्रयोजन से अपेक्षित उपयुक्त भूमि परियोजना द्वारा प्रदान की जाएगी ।

यदि समूह पहले ही आवश्यक स्थल चिन्हित कर चुका हो तो उस समुदाय के प्रतिनिधियों सहित एन0 जी0 ओ0 उस स्थल की उपयुक्तता तथा प्वाप्तता का स्थलांकन करेगी । एन0 जी0 ओ0 स्थानीय राजस्व विभाग से इस भूमि के स्वामित्व तथा उपलब्धता बारे सूचना भी एकत्र करेगी ।

एन0 जी0 ओ0 वृत्त कार्यालय/वृत्त निरीक्षक के कार्यालय से परियोजना अहाते के मार्ग पर उपलब्ध सरकारी/सामुदायिक भूमि बारे भी सूचना एकत्रित करेगी ।

एन0 जी0 ओ0 प्रत्येक गांव के अनुसार सरकारी तथा सामुदायिक भूमि की एक समेकित सूचि तैयार करेगी । पी0डी0 पीज0 के पुनःस्थापन हेतु एन0 जी0 ओ0 यह सुनिश्चित करेगी कि पी0डी0 पीज0 का समकक्ष पुनःस्थापन किया जाए । ताकि उनके वर्तमान सामाजिक ताने बाने को यथावत् रखा जा सके ।

मेजबान समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया जाएगा । भूमि की गुणवता, स्थल तक सामान ले जाने, सार्वजनिक परिसम्पति स्रोत, सामाजिक संरचना जैसे पहलुओं पर स्थल चयन करते समय विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व पुनःस्थापन योजना तैयार की जाएगी तथा पी0डी0 पीज0 से लिखित सहमति ली जाएगी ।

सरकारी भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला समाहर्ता (क्लैक्टर) से इस आशय का प्रमाणपत्र लिया जाएगा और स्थल पुनःस्थापना/शॉपिंग परिसर के विकास हेतु परियोजना द्वारा भूमि कय की जाएगी ।

स्थापित किए गए नए केन्द्रों पर पेयजल, आंतरिक सम्पर्क मार्ग, नालियां, बिजली, जैसी अन्य सभी नागरिक सुविधाएं उसी भांति प्रदान की जाएंगी जैसे कि पी0 डी0 पीज को पहले स्थल पर उपलब्ध थी । परियोजना से पूर्व विस्थापित तथा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा भोगी जाने वाली सरकारी सुविधाएं तथा सार्वजनिक परिसम्पति स्रोत नए पुनः स्थापन स्तर पर यथा संभव सरकार द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी ।

यदि दुकानों/घरों का निर्माण पुनः स्थापन स्थल पर परियोजना के माध्यम से किया जा रहा हो तो इनके निर्माण हेतु निर्धारित की गई राशि से अधिक खर्च के वहन हेतु पी0 डी0 पीज को वित्तीय संस्थानों से एन0 जी0 ओज0 ऋण का प्रबन्ध करने में सहायता प्रदान करेंगे । वित्तीय संस्थान पी0 डी0 पी0 को व्यक्तिगत रूप में ऋण प्रदान करेंगी तथा पी0 डी0 पी0 तथा वित्तीय संस्थानों के मध्य हुए करार के अनुसार ऋण की वसूली भी संस्थानों द्वारा ही की जाएगी ।

दूसरा विकल्प पुनः स्थापन स्थल पर प्लॉट काटना तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना होगा । तब घरों तथा दुकानों का निर्माण कार्य पी0 डी0 पीज0 पर छोड़ दिया जाएगा । पी0 डी0 पीज0 के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण की सुविधा एन0 जी0 ओ0 द्वारा प्रदान की जाएगी ।

स्थल का विकास हो जाने के उपरान्त ई0 पीज0 की उपस्थिति में स्थानीय रूप से झू निकालकर मकानों/प्लॉटों/दुकानों को पी0 डी0 पीज0 में बांटा जाएगा ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, असुरक्षित व्यक्तियों को छोड़कर पी0 डी0 पीज0 द्वारा मकानों/दुकानों के लिए नए पुनस्थापन स्थल पर प्लॉटों हेतु धन की अदायगी करनी होगी। मकानों/दुकानों के लिए प्लॉटों का आबंटन पति तथा पत्नी दोनों के नाम पर होगा। इस संबंध में पंजीकरण लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।

जनजातीय क्षेत्रों की भूमि संम्बन्धी पट्टेदारी पद्धति तथा प्रथागत अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि जनजातीय समुदाय प्रभावित होता है, उस स्थिति में विश्व बैंक ओ0 पी 4.10 के अनुरूप स्थानीय जनता विकास योजना तैयार की जाएगी। यद्यपि परियोजना सड़कें किसी जनजातीय क्षेत्र से नहीं गुजरती तथापि कुछ जनजातीय परिवार प्रभावित हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में यदि जनजातीय भूमि को अलग किया जाना हो तो उसके लिए पंचायत द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जाना होता है। गैर जनजातीय क्षेत्रों में यदि आदिवासी प्रभावित होते हैं तथा मुख्यधारा में जोड़े जाते हैं उसकी अधिसूचना पंचायत तथा ग्रामसभा से विचार-विमर्श कर जारी की जाएगी।

1.6 हकदारी मापदण्ड

हकदारी मापदण्डों में उल्लिखित आर एण्ड आर सिद्धान्तों सम्बन्धी हकदारी बारे वर्ग के अनुसार सूचना प्रदान की जाती है। परियोजना के लिए हकदारी मापदण्ड निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं-

विस्तृत हकदारी मैट्रिक्स

क्र.सं.	श्रेणी	क्षति का प्रकार	हकदारी इकाई	हकदारी एवं विवरण
1 क	निजी सम्पति	कृषि भूमि एवं परिसम्पतियां	स्वामित्वधारी	<p>“प्रतिस्थापन लागत” पर मुआवजा</p> <p>प्रभावित वर्ग : कुल जमीन के 20 प्रतिशत से कम क्षति होने पर तथा शेष जमीन एम.ई.एच. (5 बीघा से अधिक) हो।</p> <p>1. प्रतिस्थापन लागत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।</p> <p>प्रभावित वर्ग : कुल जमीन के 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर तथा शेष जमीन एम.ई.एच. से अधिक हो।</p> <p>1. प्रतिस्थापन के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।</p> <p>2. कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण</p> <p>3. असुरक्षित समूहों को 24,000 रुपये तक की ई. आर.जी.</p> <p>प्रभावित वर्ग : यदि अर्जन के उपरान्त शेष जमीन एम.ई.एच. से कम है तो ई.पी. निम्नलिखित के भी हकदार होंगे :-</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिस्थापन लागत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 2. यदि ई.पी. असुरक्षित समूह से है तो मुआवजा जमीन के बदले जमीन के रूप में दिया जाएगा यदि ई.पी. ऐसा चाहे यह भी उपबंधित है कि बराबर अथवा उससे अधिक उत्पादकता वाली जमीन उपलब्ध हो। 3. यदि स्वामी चाहे कि प्रोजेक्ट हेतु उसका आवासीय प्लॉट भी अर्जित किया जाए तो उसके आवासीय प्लॉट सहित पूरे प्लॉट के लिए मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार भुगतान के आधार पर आवासीय प्लॉट को भी अर्जित किया जाएगा। 4. यदि कुल भूमि की क्षति 10 प्रतिशत से कम हो तो उस स्थिति में 24 दिनों का, यदि 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक हो तो 48 दिनों का, यदि 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो तो 72 दिनों का और यदि 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हो तो 100 दिनों का परिवर्ती भत्ता 70 रुपये प्रतिदिन की दर से आंकलित किया जाएगा। 5. पुनर्स्थापन तथा स्रोत स्थापन पर आने वाले सभी शुल्कों, करों तथा अन्य प्रभारों का वहन एतत्सम्बन्धी नियमानुसार प्रोजेक्ट द्वारा किया जायेगा। 6. कौशल सुधार हेतु आर.डी.डी. पद्धति पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 7. असुरक्षित समूहों को उत्पादक परिसम्पत्तियों के रूप में एक मुहत्त आर्थिक पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान किया जाएगा। 8. समर्थ संस्थाओं के अर्धकुशल/ अकुशल पी.ए.पी.ज को ठेकेदार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि वे अपेक्षित मापदण्ड/ अर्हताएं पूरी करते हों। <p><i>अनुपस्थित भूस्वामी मात्र बदले के मूल्य के बराबर मुआवजे के हकदार होंगे।</i></p>
--	--	--	--	--

1 ख	निजी सम्पति	गैर-कृष्य भूमि तथा परिसम्पतियां	स्वामित्वधारी/ स्वामी आवासीय	<p>“प्रतिस्थापन लागत” पर मुआवजा</p> <p>प्रभावित वर्ग : पूरी संरचना के 20 प्रतिशत से कम तक की क्षति तथा शेष संरचना व्यवहार्य हो तो</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ई.पी. को उसके आवासीय ढांचे के बदले उसकी कीमत दी जायेगी जिसका आंकलन प्रचलित मूल दरों के अनुसार बिना किसी मूल्य ह्रास के किया जाएगा बशर्ते कि वह सरकार/ स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित बी.एस. आर. गुणवत्ता मामलों के अनुरूप हों। 2. आवासीय भूमि की क्षति के बदले उसके मूल्य के रूप में मुआवजा दिया जायेगा। 3. गिराये गए ढांचे के सामान को ले जाने का अधिकार होगा। <p>प्रभावित वर्ग : ढांचे की 20 प्रतिशत से अधिक क्षति तथा ढांचे का सामान न ले जाने की स्थिति में उपरोक्त हकदारी के अलावा ऐसे ई.पी. निम्नलिखित के भी हकदार होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. ग्रामीण क्षेत्र में मु0 3000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में मु0 6000 रुपये की एक मुश्त राशि किराया भत्ता के रूप में प्रदान की जायेगी। 6. यदि उसी गांव अथवा नगरपालिका में हो तो मु0 1000 रुपये की एक मुश्त राशि स्थानान्तरण भत्ता के रूप में और यदि प्रभावित गांव अथवा नगरपालिका के बाहर हो अथवा नए स्थल की दूरी 2 कि.मी. से अधिक हो तो मु0 2000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जायेगी। 7. 40 से 70 वर्ग मीटर तक का प्लॉट निःशुल्क तथा असुरक्षित समूह को इन्दिरा आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि के बराबर निर्माण भत्ता भी दिया जायेगा। अन्य समूहों को प्लॉट कीमत के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। 8. समर्थ संस्थाओं के अर्धकुशल/ अकुशल पी.ए. पी.ज. को ठेकेदार द्वारा रोजगार प्रदान करने में
-----	-------------	---------------------------------	------------------------------	---

				<p>प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि वे अपेक्षित मानदण्ड/ अर्हताएं पूर्ण करते हों।</p> <p><i>अनुपस्थित भूस्वामियों को मात्र बदले के मूल्य समान मुआवजा ही मिलेगा।</i></p>
1 ग	निजी सम्पति	गैर-कृष्य भूमि तथा परिसम्पतियां	स्वामित्वधारी/ स्वामी व्यावसायिक	<p>“प्रतिस्थापन लागत” पर मुआवजा</p> <p>प्रभावित वर्ग : पूरी संरचना के 20 प्रतिशत से कम तक की क्षति तथा शेष संरचना व्यवहार्य हो</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ई.पी. को उसके व्यावसायिक ढांचे के बदले उसकी कीमत दी जायेगी जिसका आकलन प्रचलित मूल दरों के अनुसार बिना किसी मूल्यहास के किया जाएगा बशर्ते कि वह सरकार/ स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित बी.एस.आर. गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। 2. व्यावसायिक भूमि की क्षति के बदले उसके मूल्य के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। 3. मु0 1500 रुपये की एक मुश्त राशि परिवर्ती भत्ता के रूप में दी जाएगी। 4. गिराये गए ढांचे के सामान को ले जाने का अधिकार होगा। <p>प्रभावित वर्ग : यदि ई.पी. विस्थापित है तो पूर्वोक्त दर्शाई गई हकदारी के अतिरिक्त ऐसे ई.पी.ज निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि उसी गांव अथवा नगरपालिका के भीतर हों तो 1000 रुपये का एक मुश्त स्थानान्तरण भत्ता यदि उस गांव अथवा नगरपालिका के बाहर हो या नए स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक हो तो 2000 रुपये का स्थानान्तरण भत्ता। 2. कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। 3. कीमत पर 25 वर्ग मीटर का एक प्लॉट 4. सभी असुरक्षित ई.पी.ज जिन्होंने अपने व्यावसायिक ढांचे खोए हैं, उत्पादक परिसम्पतियों के रूप में ई0 आर0 जी0 के

				<p>हकदार होंगे । यदि ऐसे ई0 पी0 विस्थापित हो जाते हैं तो वे 25 वर्ग मीटर निःशुल्क प्लॉट के भी हकदार होंगे बशर्ते कि वह भूमिहीन हो। तथापि यदि ऐसे ई.पी. के पास किसी और स्थान पर भूमि हो और वह प्लॉट के लिए मांग करे तो उसे बाजार मूल्य पर 25 वर्गमीटर का प्लॉट प्रदान किया जायेगा।</p> <p>5. समर्थ संस्थाओं के अर्धकुशल/ अकुशल पी.ए. पीज को ठेकेदार द्वारा रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि वे अपेक्षित मानदण्ड/ अर्हताएं पूर्ण करते हों।</p> <p><i>अनुपस्थित भूस्वामियों को मात्र बदले के मूल्य के बराबर मुआवजा मिलेगा।</i></p>
--	--	--	--	---

1 घ.	निजी सम्पति	गैर-कृष्य भूमि तथा परिसम्पतियां	किरायेदार : आवासीय	<ol style="list-style-type: none"> 1. किरायेदार द्वारा स्वामी के पास जमा की गई राशि अथवा अग्रिम अदायगी अथवा सम्पतिहरण के समय शेष राशि (इसकी कटौती स्वामी को किए जाने वाले भुगतान में से की जायेगी) 2. ग्रामीण क्षेत्र में मु0 3000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में मु0 6000 रुपये का एक मुश्त किराया भत्ता 3. सम्पति पर किरायेदार द्वारा निर्मित ढांचे का मुआवजा (इसकी कटौती स्वामी को किये जाने वाले भुगतान में से की जायेगी) 4. यदि उसी गांव अथवा नगरपालिका में स्थित हो तो मु0 1000 रुपये, यदि उस गांव अथवा नगरपालिका से बाहर हो या नए स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक हो तो मु0 2000 रुपये का एक मुश्त स्थानान्तरण भत्ता।
1 ड.	निजी सम्पति	गैर-कृष्य भूमि तथा परिसम्पतियां	किरायेदार : व्यावसायिक	<ol style="list-style-type: none"> 1. किरायेदार द्वारा स्वामी के पास जमा की गई राशि अथवा अग्रिम अदायगी अथवा सम्पतिहरण के समय शेष राशि (इसकी कटौती स्वामी को किए जाने वाले भुगतान में से की जायेगी)

				<p>2. ग्रामीण क्षेत्र में मु0 3000 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में मु0 6000 रूपये का एक मुहत किराया भत्ता</p> <p>3. सम्पति पर किरायेदार द्वारा निर्मित ढांचे का मुआवजा (इसकी कटौती स्वामी को किये जाने वाले भूगतान में से की जायेगी)</p> <p>4. यदि उसी गांव अथवा नगरपालिका में स्थित हो तो मु0 1000 रूपये, यदि उस गांव अथवा नगरपालिका से बाहर हो या नए स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक हो तो मु0 2000 रूपये का एक मुहत स्थानान्तरण भत्ता।</p> <p>5. कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।</p> <p>6. असुरक्षित ई.0पीज0 को उत्पादक परिसम्पति के रूप में एक बार आर्थिक पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान किया जायेगा।</p>
1 च.	निजि सम्पति	कृषि भूमि तथा अन्य परिसम्पतियाँ	अस्पष्ट स्वामित्व/ विवादास्पद स्वामित्वों	<p>भूमि/ ढाँचे की क्षति</p> <p>भूमि / ढाँचे के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर मुआवजा</p> <p>पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सहायता</p> <p>स्वामित्वधारियों से समरूप व्यवहार्य होंगे। तथापि विवादास्पद मामलों लिए सहायता तभी जारी की जाएगी जब मामला न्यायालय या सर्वसम्मति से तय होगा।</p>
2	अन्य			
2 क	आजीविका	वेतन भोगियों	व्यक्तिगत	<p>एक मुहत</p> <p>प्रभावित वर्ग : जहां व्यक्ति कृषि श्रमिक या बटाईदार के रूप में कार्य करता था तो कृषि भूमि अर्जन के कारण, या व्यापारिक संस्थान में व्यक्ति श्रमिक के रूप में कार्य करता था तो व्यापारिक संस्थान के अर्जन के कारण आय की क्षति होने पर</p> <p>1. यदि वे पिछले तीन सालों से लगातार सहबद्ध रहे हों तो उन्हें परिवर्ती भत्ते के रूप में एक हजार रूपये की राशि एक मुहत दी जाएगी।</p>

				<p>2. कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।</p> <p>3. असुरक्षित हकदार व्यक्तियों को उत्पादक परिसम्पतियों के रूप में एक बार आर्थिक पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान किया जाएगा।</p>
2 ख		गैर बारहमासी फसलें	परिवार	<p>खड़ी फसलों की कटाई के लिए सूचना</p> <p>1. उन्हें 4 मास पूर्व सूचना दी जाएगी।</p> <p>2. फसल काटने से पूर्व ही बलपूर्वक प्रतिस्थापन के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए फसल के बाजार मूल्य के समान अनुदान तथा आगामी फसल के लिये बीजों की कीमत प्रदान की जाएगी।</p>
2 ग		बारहमासी फसलें जैसे फल वृक्ष	परिवार	<p>प्रतिस्थापन कीमत पर मुआवजा</p> <p>बारहमासी फसलें तथा वृक्षों के लिए मुआवजा वार्षिक उत्पादन तथा वृक्ष की शेष आयु के गुणनफल के आधार पर आंकलित किया जाएगा।</p>
3 3 क	आर0ओ0आर0 वैद्य मान्य सिद्धान्तों का अवैध प्रयोग	का अवैध प्रयोग अतिक्रमणकर्ता	परिवार	<p>भूमि के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा परन्तु असुरक्षितों को परिसम्पतियों के लिए सहायता मिलेगी</p> <p>1. अतिक्रमणकर्ताओं को उनकी परिसम्पतियों को हटाने (वृक्षों को छोड़कर) तथा फसलों को काटने हेतु समय रहते सूचित किया जाएगा।</p> <p>2. असुरक्षित व्यक्तियों को प्रतिस्थापन लागत पर ढांचे के लिए मुआवजा दिया जाएगा।</p> <p>3. व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द हो जाने पर हकदार व्यक्तियों के कौशल सुधार हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।</p> <p>4. व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द हो जाने पर असुरक्षित हकदार व्यक्तियों को उत्पादक परिसम्पतियों के रूप में एक आर्थिक पुनःस्थापना अनुदान प्रदान किया जाएगा।</p>

				5. गिराए गए ढांचे के सामान को ले जाने का अधिकार।
3 ख		आबादकार	परिवार	<p>भूमि के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा परन्तु परिसम्पतियों के लिए सहायता मिलेगी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ढांचे के लिए प्रतिस्थापना लागत पर मुआवजा। 2. यदि उसी गांव अथवा नगरपालिका में स्थित हो तो मु० एक हजार रुपये और यदि प्रभावित गांव अथवा नगरपालिका के बाहर हो या नए स्थल की दूरी 2 कि.मी. से अधिक हो तो मु० 2000 रुपये का एक मुश्त स्थानान्तरण भत्ता। 3. व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द हो जाने के फलस्वरूप हकदार व्यक्तियों के कौशल सुधार हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 4. असुरक्षित हकदार व्यक्तियों को व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द हो जाने पर उत्पादक परिसम्पतियों के रूप में एक बार आर्थिक पुनः स्थापन अनुदान। 5. गिराए गए ढांचे के सामान को ले जाने का अधिकार।
3 ग	स्थानान्तरण कार्य	परिवर्ती विक्रेता (खोखे)	परिवार	वे मुआवजा अथवा सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवर्ती विक्रेता जिनके पास एक निश्चित स्थान हेतु अनुज्ञप्ति हो उन्हें खोखे के रूप में व्यवहारित किया जाएगा। उन्हें मु० 300 रुपये का एक मुश्त स्थानान्तरण भत्ता मिलेगा।
4	सामुदायिक संरचना, सम्बद्धता तथा सुविधाएं	सार्वजनिक सम्पति स्रोत	समुदाय	<p>संरक्षण, परिरक्षण, वैकल्पिक प्रतिस्थापन मुआवजा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आसानी से प्रतिस्थापित किए जाने वाले स्रोत जैसे कि संस्कृति परिसम्पतियाँ (विशेष परिरक्षण, प्रतिस्थापन इत्यादि के माध्यम से) समुदाय से विचार विमर्श कर संरक्षित की जाएगी। 2. जलाउ लकड़ी इत्यादि के सम्बन्ध में वन विभाग के सहयोजन से समुदायों को सामाजिक वाणिकी स्कीम में सहयोजित कर सहायता प्रदान की जाएगी।

				<p>3. पर्याप्त सुरक्षा उपाय, विशेषकर पैदल रास्तों तथा बच्चों के लिए <i>(विस्तृत जानकारी के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन दस्तावेज में सुरक्षा योजना धारा देखें)</i>।</p> <p>4. सामुदायिक, सार्वजनिक क्षेत्रों, भू-दृश्य निर्माण, सुधरी हुई नालियाँ, सड़क के किनारे आराम करने के स्थल इत्यादि सभी का प्रावधान। उच्च मार्ग के डिज़ाईनों में शामिल होना।</p> <p>5. यदि सम्भव हो तो निर्माण चरण पर समर्थ इकाईयों के सदस्यों को प्रोजेक्ट में रोजगार के अवसर।</p> <p>6. वृक्षों की क्षति की भरपाई वृक्षारोपण के माध्यम से की जाएगी <i>(विस्तृत जानकारी के लिए इ.एम.पी. देखें)</i>।</p>
4 क	अन्य कोई प्रभाव जिसे अभी तक चिन्हित न किया गया हो, चाहे परिसम्पतियाँ अथवा आजीविका की क्षति हो।			अचानकी प्रभाव को इस नीति के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमती के आधार पर पहचान कर उसका निराकरण।